दिनांकः- 21-09-2019

ट्राई द्वारा लाए गए न्यू टैरिफ कंसल्टेशन पेपर पर आ. ई. आ. डि. ए. संघ के सुझाव

मान्यवर,

ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल टीवी व्यवसाय के लिए न्यू टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर पुनः लाए गए कंसल्टेशन पेपर पर केबल टीवी ऑपरेटरों द्वारा कोई सुझाव दिए जाने का वैसे कोई खास महत्व तो नहीं है, क्योंकि ट्राई के पूर्व चैयरमैन द्वारा एक मीटिंग में यह बात स्पष्ट शब्दों में कही गई थी कि ट्राई का केबल टीवी ऑपरेटरों के हितों से कोई लेना-देना नहीं है और वह तो केवल उपभोक्ताओं के हितार्थ काम करती है। इतना सुन लेने के बाद भी केबल टीवी ऑपरेटरों का यदि ट्राई के साथ कुछ जुड़ाव है तो ट्राई का भी कुछ तो कर्त्तव्य बनता ही है। ऑपरेटर भी तो एक तरह का उपभोक्ता ही है, अतः ट्राई के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल टीवी व्यवसाय के लिए न्यू टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर पुनः लाए गए कंसल्टेशन पेपर पर केबल टीवी ऑपरेटरों की संस्था 'ऑल इंडिया आविष्कार डिश एंटिना संघ' सुझाव के रूप में दो शब्द आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रही है।

'उपभोक्ताओं के हितार्थ' कार्य करने वाली ट्राई को अच्छी तरह से यह समझ आ जाना चाहिए कि आपके द्वारा लागू करवाए गए न्यू टैरिफ ऑर्डर (NTO) के कारण उपभोक्ताओं की जेब पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ा है, क्योंकि पहले जहां उन्हें 200 रुपए (औसतन) में उनकी पसंद के सभी चैनल उपलब्ध हो जाया करते थे, वे अब 500-600 रुपए देने के बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं। न्यू टैरिफ ऑर्डर लागू हो जाने के बाद से उपभोक्ताओं की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि वर्षों से केबल टीवी अथवा डीटीएच सेवा प्राप्त करते आ रहे लाखों उपभोक्ताओं ने तौबा कर ली है और स्वयं को इन सेवाओं से अलग कर लिया है।

उपभोक्ताओं को यह बात समझ नहीं आ पा रही है कि ट्राई को ऐसा कैसे लग रहा है कि उसके द्वारा लागू किए गए न्यू टैरिफ ऑर्डर का लाभ उपभोक्ताओं को हो रहा है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि उपभोक्ता तो इतना दुखी और परेशान हो चुका है कि इस सेवा से ही मुक्ति पाने लगा है।

पूर्व में उपभोक्ताओं के हितार्थ लाए गए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) कानून के अंर्तगत प्रत्येक पे चैनल की कीमत 5 रुपए तय की गई थी। तब से ऐसा क्या हुआ कि इन चैनलों को ही यह अधिकार दे दिया गया कि वे अपनी दरें अपनी मर्जी से तय करें? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, जिसकी अधिसूचना तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री रहीं स्व. श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा 14 जनवरी, 2003 को जारी की गई थी, उसमें उपभोक्ताओं के हितों का पूरा ध्यान रखा गया था। उसे रद्द कर नई यूपीए सरकार के कार्यकाल में लाए गए डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डैस) का औचित्य क्या था? एनडीए सरकार द्वारा लाए गए कैस कानून को लागू ना कर यूपीए सरकार द्वारा लाए गए डैस कानून की खामियों को दूर करने के लिए तब से अब तक अनेक कंसल्टेशन पेपर लाए जा चुके हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वे पर्याप्त एवं उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाले साबित नहीं हो सके हैं। ट्राई को उन कारणों को भी जानना चाहिए कि क्यों वह वांछित परिणाम नहीं दे पा रही है और क्यों उसे एक के बाद एक नए कंसल्टेशन पेपर लाने पड़ते हैं?

ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल टीवी व्यवसाय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है-

1. कंटेंट प्रोवाइडर : (ब्रॉडकास्टर्स)
2. एमएसओ : (मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर, अर्थात् हैडेंड ऑपरेटर, जो चैनलों को डाउनलिंक कर पुनः प्रसारित करता है)
3. एलसीओ : (लोकल केबल ऑपरेटर, अर्थात् एमएसओ से फीड प्राप्त कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाला)
4. उपभोक्ता : (इन्हीं उपभोक्ताओं के हितार्थ ट्राई कार्यरत है)

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)
B-262, Indra Nagar, Delhi-110 033
Telefax : +91-11-27672736 Mobile : +91-9811110410, 9311110410

इन्हें विस्तार से समझे बिना कभी भी परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं आ सकेंगे, अत: इन्हें पूरी तरह से समझना होगा-

1. कंटेंट प्रोवाइडर या ब्रॉडकास्टर : ब्राडकास्टर्स के अनेक स्वरूप हैं। इनमें मोटे तौर पर तो एक न्यूज एवं दूसरा नॉन न्यूज श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसके अलावा भी इनके विस्तृत स्वरूप होते हैं।

(i) मुफ्त में उपलब्ध (फ्री-टू-एयर)

(ii) भुगतान पर उपलब्ध (पे चैनल)

(iii) बुके में शामिल

(iv) अकेला चैनल

(v) हिंदी-अंग्रेजी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचलित

(vi) मनोरंजन अथवा अन्य श्रेणियों वाले

(vii) भारतीय (चैनल मालिक पूर्णतया भारतीय)

(viii) विदेशी (चैनलों के मालिक विदेशी)

(ix) भारत सरकार द्वारा प्रसारित

(x) दूसरे देशों की सरकार द्वारा प्रसारित

(xi) भारत में सिर्फ डाउनलिंक

(xii) भारत में सिर्फ अपलिंक (भारत में प्रसारण नहीं)

(xiii) भारत में उपलब्ध, लेकिन भारत सरकार की कोई अनुमति नहीं ली गई

आदि-आदि तमाम तरह की विस्तृत रूपरेखाएं हैं भारत में प्रचलित चैनलों की। इन्हें बारीकी से समझे बिना इनकी दरें या फिर उपलब्धता पर निर्णय ले लेना उचित नहीं होगा। हालांकि ट्राई को यह दायित्व सौंपे जाने से पूर्व प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेस पर नियंत्रण हेतु प्रसारण विधेयक (ब्रॉडकास्टिंग बिल) लाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन किन कारणों से उसे दफना दिया गया, ट्राई को वह भी जान लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विदेशी चैनलों का दबदबा भारत सरकार पर सदैव ही ज्यादा बना रहा है। इसलिए प्रसारण विधेयक नहीं लाया जा सका है व इसी कारण से तत्कालीन एनडीए सरकार द्वारा लाया गया कंडीशनल एक्सेस सिस्टम कानून भी लागू नहीं हो सका।

केबल टीवी इंडस्ट्री को भी टेल्को की भांति हांक रही ट्राई को टेल्को एवं ब्रॉडकास्टिंग के अंतर को समझना चाहिए, अन्यथा इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों को साधा नहीं जा सकेगा।

देश के लाखों एलसीओ सहित उनके साथ काम करने वाले कई लाख केबल तकनीशियनों के परिवारों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

भारत में उपलब्ध चैनलों में सबसे पहले दूरदर्शन द्वारा प्रसारित चैनलों को सबसे आगे रखा गया है, जिनके लिए सरकार ने कानून बनाया है कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित सभी चैनलों को दिखाया जाना अनिवार्य है। ऐसा ना किए जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का भी प्रावधान है। डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम कानून के अंर्तगत दूरदर्शन द्वारा प्रसारित तकरीबन 26 चैनलों का प्रसारण एमएसओ द्वारा किया जाता है, लेकिन न्यू टैरिफ ऑर्डर लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता उन दूरदर्शन चैनलों की मांग ही नहीं करते हैं। तब दूरदर्शन द्वारा प्रसारित इतने सारे चैनलों को ढोने का मतलब ही क्या रह जाता है? ट्राई द्वारा क्या उपभोक्ताओं को दूरदर्शन चैनल लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है? यदि नहीं, तब दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जा रहे इतने सारे चैनलों के लिए करोड़ों रुपए क्यों व्यर्थ किए जा रहे हैं? ट्राई को जानना चाहिए कि न्यू टैरिफ ऑर्डर लागू हो जाने के बाद दूरदर्शन चैनलों को कितने उपभोक्ताओं ने सब्सक्राइब किया है? ट्राई को इस संबंध में सारी जानकारी सरकार को देकर दूरदर्शन चैनलों की वास्तविकता पर भी ध्यान देना चाहिए।

(i) मुफ्त में उपलब्ध सैकड़ों चैनलों के लिए अब अपना अस्तित्व बनाए रखना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें कैरिज फीस के रूप में भारी कीमत चुकानी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे ज्यादा सुधार की आवश्यकता थी, लेकिन ट्राई ने उस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया, अपितु कैरिज फीस को कानूनी जामा पहना दिया गया। जिन चैनलों के प्रसारण हेतु एमएसओ भारी रकम वसूल रहे हैं, उन्हें फिर एलसीओ की भागीदारी में हिस्सा नहीं दिया जाना चाहिए था। फ्री-टू-एयर चैनलों से प्राप्त 100 प्रतिशत राशि का हकदार सिर्फ एलसीओ ही होना चाहिए था। इसी तरह से नेटवर्क कैपेसिटी फीस से प्राप्त कुल राशि का हकदार भी एकमात्र एलसीओ को ही बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ट्राई ने न्यू टैरिफ ऑर्डर में एलसीओ के हितों और अधिकारों की बिल्कुल अनदेखी की है। एनटीओ में न्यूनतम 100 चैनल उपलब्ध करवाए जाने व उसके ऐवज में 130 रुपए लिए जाने के साथ-साथ उपभोक्ता से जीएसटी भी वसूलने को कहा गया है, यानी कि प्रति कनेक्शन कम से कम 153.40 रुपए, अर्थात् देश के हजारों गांव, कस्बों, छोटे-छोटे शहरों सहित लाखों पिछड़ी बस्तियों, झुग्गी-झोपड़ी, कॉलोनियों एवं महानगरों के स्लम एरिया में रहने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं पर एक ही झटके में एनटीओ रूपी कहर ढा दिया गया। वह तबका तो अभी तक मात्र 100-500 रुपए मासिक में ही अपनी पसंद के सभी चैनल प्राप्त कर रहा था, जबकि एनटीओ लागू होने के बाद 250-300 रुपए चुकाने पर भी उन्हें सभी चैनल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह से इस कानून को उपभोक्ताओं के हितार्थ लाया गया, ऐसा कैसे माना जा सकता है?

फ्री-टू-एयर चैनलों को प्रसारित किए जाने के लिए पूर्व में एनडीए सरकार द्वारा लाए गए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम कानून में ऐसा प्रावधान था, जिसके तहत एलसीओ ही उन्हें अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा सकता था, साथ ही वह सभी दूरदर्शन चैनलों को भी उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जवाबदेह था।

(ii) पे चैनलों के मकड़जाल को पूरी गंभीरता से समझे बिना कोई कानून बना देना हमेशा अधकचरा ही साबित होगा। सर्वप्रथम तो यह समझना होगा कि ऐसे चैनलों ने भारत में प्रवेश किसकी अनुमति से किया? बिना भारत सरकार की अनुमति के कैसे इन चैनलों ने अपना विस्तार सम्पूर्ण भारत में कर डाला? आखिर इसके लिए इन चैनल मालिकों को भारत में किसका संरक्षण प्राप्त था?

19 सितंबर 1994 को लाए गए भारत के प्रथम पे चैनल 'स्टार मूवीज' को किसने अनुमति दी थी, क्योंकि केबल टीवी ऑर्डिनेंस भी इस चैनल के प्रचलन में आ जाने के बाद 29 सितंबर 1994 को लाया गया था। अंग्रेजी फिल्मों के चैनल 'स्टार मूवीज' के बाद हिंदी फिल्मों वाला पे चैनल भी 1995 की शुरुआत में ही आ गया था, लेकिन तत्कालीन भारत सरकार प्रसारण विधेयक भी नहीं ला सकी, आखिर क्यों? आज सैकड़ों पे चैनल प्रचलन में हैं, लेकिन तत्कालीन एनडीए सरकार की सूचना व प्रसारण मंत्री स्व. श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा लाए गए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) कानून को लागू किए जाने से किन ताकतों ने रोका और क्यों? इनकी वास्तविकता को जाने-समझे बिना कोई भी कानून बनाना पूर्ण नहीं होगा। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि कैस कानून में पे चैनलों की दर भी तय की गई थी, 5 रुपए प्रति चैनल, तो डैस के अंतर्गत एनटीओ में पे चैनल ब्रॉडकास्टर्स को अपनी मनमर्जी के अनुसार चैनल की दर तय किए जाने की छूट दिए जाने के पीछे देश के करोड़ों उपभोक्ताओं का क्या हित रहा?

किसी भी चैनल को फ्री-टू-एयर अथवा पे किए जाने की कोई गाइडलाइन ना बनाकर यह अधिकार खुले रूप से ब्रॉडकास्टर को दिए जाने का औचित्य क्या है?

इसी तरह से चैनल की दर तय किए जाने का फॉर्मूला क्या तय किया गया? क्यों यह निर्णय ब्रॉडकास्टर के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया? क्या देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के हितार्थ ट्राई द्वारा दिया गया यह विशेष उपहार था? भारत सरकार द्वारा दरें निर्धारित किए जाने के लिए विशेष मानक हैं। उनमें से पे चैनलों ने किन मानकों का पालन किया? इसे जाने बिना ट्राई द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अधूरा ही साबित होगा।

(iii) चैनलों के लिए अपनी मनमानी करने की छूट दिए जाने का सबसे बड़ा उदाहरण है बुके सिस्टम, अर्थात् उपभोक्ता को कोई चैनल चाहिए या नहीं चाहिए, इससे ब्रॉडकास्टर्स को कोई सरोकार नहीं, अपितु उन्हें तो बंडलिंग कर अपने चैनलों के लिए अधिक से अधिक राशि वसूलनी है। अकेले चैनल की दर इतनी अधिक कर दी गई कि ग्राहक बुके लेने के लिए ही बाध्य हो जाए, अर्थात्

जो चैनल उसे नहीं भी चाहिए, वह भी जबरन उसे दिए जाते हैं। ऐसे में ग्राहक छटपटा रहा है। तिस पर एमएसओ द्वारा बना दिए गए बुके ने तो उसके घुटने ही टिकवा दिए हैं। ग्राहक लाख चाहकर भी अपनी मर्जी के अनुसार चैनल नहीं ले सकता, ऊपर से ट्राई द्वारा बार-बार मीडिया में आकर उपभोक्ताओं के हित का ढिंढोरा पीटना उसे अपने जले पर नमक छिड़कने जैसा लगता है।

उपभोक्ताओं को हो रहीं परेशानियों के लिए ट्राई उन्हें शिकायत दर्ज करवाने के लिए जागरूक करने की औपचारिकता निभाती तो दिखती है, लेकिन इसके लिए ट्राई के पास योजना क्या है? सरकारी आदेश का पालन करवाने के लिए नोडल ऑफिसर तो देश भर में नियुक्त कर उनकी फेहरिस्त जारी कर दी गई, परंतु उन्हें करना क्या है, इस संबंध में कोई ट्रेनिंग एवं अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। यह सच देश के अनेक नोडल ऑफिसर्स से बात करने पर सामने आया है। इस प्रकार से ट्राई द्वारा आए दिन नए-नए कंसल्टेशन पेपर जारी कर पुनः नई प्रक्रिया शुरू की जाती है।

अभी न्यू टैरिफ ऑर्डर पर पुनः विचार के लिए जारी किए गए 95 पृष्ठों के कंसल्टेशन पेपर को देश के कितने केबल टीवी ऑपरेटर पढ़ पाएंगे, क्या ट्राई अधिकारी नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो फिर क्यों ऐसा किया जाता है? क्या ट्राई इस व्यवसाय के बारे में इतना भी नहीं जानती कि देश के करोड़ों उपभोक्ताओं तक चैनलों को पहुंचाने का दायित्व एलसीओ ही निभाते हैं? एलसीओ की राय लिए बिना बनाया गया कोई भी कानून अधकचरा ही साबित होगा, अतः जिस तरह से अंग्रेजी भाषा में 95 पृष्ठों का भारी-भरकम कंसल्टेशन पेपर लाया गया है, उसका जवाब और उस पर सुझाव 1 लाख से भी अधिक की संख्या में कार्यरत एलसीओ में से 50 एलसीओ भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि 99 प्रतिशत एलसीओ तो इतने बड़े 95 पृष्ठों के कंसल्टेशन पेपर को पढ़ और समझ ही नहीं सकेंगे। हां, पे चैनल ब्रॉडकास्टर्स, डीटीएच ऑपरेटर्स, एमएसओ एवं उनकी एसोसिएशंस के सुझाव अवश्य ही ट्राई को मिल जाएंगे, क्योंकि इस कार्य के लिए उन्होंने अलग से विशेष व्यवस्था बना रखी है, जबकि किसी भी एलसीओ की आय इतनी है ही नहीं कि वह इस तरह की विशेष व्यवस्था बना सके।

कंसल्टेशन पेपर के बाद ट्राई द्वारा बुलाई जाने वाली बैठक में भी वही सब होता है कि एक तरफ उन ब्रॉडकास्टर्स, एमएसओ, डीटीएच ऑपरेटर्स, उनकी एसोसिएशनों सहित अन्य कॉर्पोरेट प्रतिनिधि पूरी तैयारी के साथ शामिल होते हैं तो दूसरी तरफ बिना कंसल्टेशन पेपर पढ़े सिर्फ प्रयोगात्मक जानकारी लिए कुछ एलसीओ सहमे से वहां अपनी हाजिरी लगाते हैं। उनमें से कोई अपना पक्ष रखने की कोशिश भी करता है तो उसकी बात को 'कम टू द प्वाइंट' कहकर बीच में ही काट दिया जाता है, जिससे साफ-साफ यही संदेश जाता है कि जो भी किया जाना होता है, वह पहले से ही तय होता है और बाकी जो भी प्रक्रियाएं की जा रही होती हैं, वे सब तो एक कानूनी जामा पहनाए जाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया मात्र होती हैं।

मान्यवर, मैं 1 सितंबर 2019 से अपनी 15वीं चेतना यात्रा पर हूं। सच्चाई यही है कि 95 पृष्ठों का कंसल्टेशन पेपर मेरे द्वारा भी भली-भांति पढ़ा ही नहीं जा सका है, लेकिन इस यात्रा में जितने भी केबल टीवी ऑपरेटरों व एमएसओ से मेरी बात हुई है, उसका सार यही है कि ट्राई के एनटीओ रूपी ब्रह्मास्त्र ने बीते 28 वर्षों से प्रचलन में आए केबल टीवी व्यवसाय को एक ही झटके में जमीन पर ला दिया है। एनटीओ लागू होने के बाद से 25-30 प्रतिशत उपभोक्ता केबल टीवी छोड़ चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। प्रत्येक माह उपभोक्ता केबल टीवी छोड़ रहे हैं, जिसके कारण 1 लाख से अधिक केबल टीवी ऑपरेटरों के लिए अपने परिवार का पेट पालना कठिनतम होता जा रहा है, जबकि केबल टीवी ऑपरेटरों के साथ वर्षों से कार्यरत 25 लाख से भी अधिक केबल तकनीशियनों व उनके परिवार के लिए भी भरण-पोषण संबंधी सवाल मुंह बाए खड़ा हो गया है।

ट्राई ऐसा करके किसे लाभ पहुंचाना चाहती है, यह तो वही जाने, लेकिन उपभोक्ताओं के हित में यह एनटीओ कतई नहीं है। यही पूर्ण सच है। इसमें कोई भी अगर-मगर, किंतु-परंतु या इफ-बट की गुंजाइश नहीं है।

ट्राई यदि वास्तव में ही उपभोक्ताओं के हितार्थ अपने दायित्व का कुछ निर्वाह करना चाहती है तब ऑपरेटरों द्वारा दिए जा रहे कुछ सुझाव प्रेषित हैं:-

1. सर्वप्रथम पे चैनलों की दरों पर 15 प्रतिशत कैपिंग लगाई जाए।
2. चैनलों की दर भारतीय मानकों के अनुसार निर्धारित की जाए।

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)
B-262, Indra Nagar, Delhi-110 033
Telefax : +91-11-27672736 Mobile : +91-9811110410, 9311110410

3. पूर्व में कैस कानून के अंतर्गत 5 प्रतिशत रुपए प्रति पे चैनल तय कर दिया गया था, उसी को डैस में भी लागू किया जाना चाहिए।

4. चैनलों की दरें पूरे देश में एक समान नहीं होनी चाहिए, बल्कि शहरों की श्रेणी अनुसार दरें निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि अब यह सेवा विलासितापूर्ण नहीं, बल्कि आमजन की दिनचर्या का भी हिस्सा बन चुकी है। देश के लाखों गांवों व दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे देशवासियों को इस सेवा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

5. लोकप्रिय चैनलों की दर अन्य चैनलों से आधे दामों पर होनी चाहिए, क्योंकि इन चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की दरें अन्य चैनलों से बहुत अधिक होती हैं, क्योंकि इन्हें देखने वालों की संख्या भी दूसरे चैनलों के मुकाबले में बहुत अधिक होती है।

6. नेटवर्क कैपेसिटी फीस पूर्णतया 100 प्रतिशत एलसीओ की होनी चाहिए, क्योंकि एलसीओ के पास अतिरिक्त आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होता, जबकि एमएसओ को लोकल चैनल विज्ञापन एवं कैरिज व प्लेसमेंट फीस सहित अन्य कई स्रोतों से भी आय होती है।

7. पे चैनलों की भागीदारी में एलसीओ की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए।

8. नए हैडेंड लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

9. नए एमएसओ लाइसेंस दिए जाने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए।

10. एलसीओ के पोस्टऑफिस रजिस्ट्रेशन की अवधि भी 10 वर्ष होनी चाहिए।

11. प्रत्येक चैनल अ-ला-कार्ट पर ही उपलब्ध होना चाहिए।

12. चैनल चुनने का पूर्णतया अधिकार उपभोक्ता को ही होना चाहिए।

13. उपभोक्ताओं के हित में जीएसटी 5 प्रतिशत होना चाहिए।

मान्यवर, 95 पृष्ठों में पूछे गए 30 प्रश्नों पर क्रमानुसार सुझाव देने के लिए आवश्यक है कि पूरा कंसल्टेशन पेपर पढ़ा जाए। एनटीओ लागू हो जाने के बाद किसी भी केबल टीवी ऑपरेटर के पास इतना समय ही नहीं बचा है कि वे इसे पूरी तरह पढ़ और समझ सकें। अत: आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि भविष्य में संक्षिप्त व सरल शब्दों में ही कोई कंसल्टेशन पेपर जारी करें। अभी इतना ही। 23 सितंबर 2019 की समयावधि के अनुसार सुझाव आपके विचार हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं, लेकिन आगामी दिनों में अपनी चेतना यात्रा के दौरान एलसीओ एवं एमएसओ के जो भी विशेष सुझाव मुझे मिलेंगे, उन्हें भी ट्राई के सम्मुख लाने का प्रयास किया जाएगा।

धन्यवाद

शुभेच्छु

डा.ए.के. रस्तोगी
अध्यक्ष
ऑल इंडिया आविष्कार डिश एंटीना संघ
मो.- +91-9811110410
ई.- dr.akrastogi@gmail.com